कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1580 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12-10- 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद–पिथौरागढ़ अन्तर्गत तिलाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है0 वन भूमिका गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बनध में। प्रस्ताव सं0 46681 / 2020.

संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 79 / 2021 / एफ0सी0 / 460 दिनांक 30.07.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1352 / 12–1 दिनांक 29.09.2021 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न–प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

O/C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 1352/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 29 सितम्बर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– पिथौरागढ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.02 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/79/2021/एफ.सी./460 दिनांक 30.07.2021 एवं आपका पत्रांक 415/12–1(2) दिनांक 28.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/46681/2020 में पायी गयी त्रुटियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् प्रेषित है।

क्र. सं.	त्रुटियों का विवरण	निराकरण
1	प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा तीन गांवों को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिनकी कुल जनसंख्या 414 है। परन्तु के0एम0एल0 एवं डिजिटल मानचित्र पर गावों की स्थिति को अंकित नहीं किया गया है साथ ही के0एम0एल0 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि इतनी आबादी प्रस्तावित मार्ग से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही है। इस पर राज्य सरकार अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	के0एम0एल0 एवं डिजिटल मानचित्र पर गांवों की स्थिति को अंकित कर ऑनलाईन कर लिया गया है। उक्त मोटर मार्ग से दुबतड, तिलाडी एवं सेरा गांव लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त तीनों गांव अलग–अलग छोटे तोकों में बसे हुये हैं।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मार्ग में दी गयी प्रषासनिक स्वीकृति में पुल निर्माण भी दर्षाया गया है, किन्तु पैरा–बी 2.4 पर Component wise break up में 'पुल' निर्माण हेतु क्षेत्र का अंकित नहीं किया गया है।	पैरा–बी 2.4 पर Component wise break up में 'पुल' निर्माण हेतु क्षेत्र को अंकित कर लिया गया है।
3	मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण हेतु आवष्यक क्षेत्र 0.628 हे0 दर्षाया गया है जबकि component wise break up के अनुसार यह 0.50 हे0 लिखा गया है। अतः राज्य सरकार इस पर स्पष्ट टीप प्रेषित करे अथवा आवश्यक सुधार करें।	पूर्व में मलवा निस्तारण हेतु आवष्यक क्षेत्र की गणना त्रुटिपूर्ण 7.00 किमी0 लम्बाई हेतु की गई थी, जिस कारण 0.628 हे0 दर्षाया गया था। वर्तमान में मार्ग की वास्तविक लम्बाई 6.250 किमी0 हेतु गणना कर 0.500 हे0 कर लिया गया है। **(संलग्नक–01)**
4	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्ताव में वन भूमि का चयन किया गया है जबकि प्रस्तावित मार्ग में निष्चित अंतराल में नाप भूमि भी सम्मिलित है जिसका उपयोग मलवा निस्तारण हेतु किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर वन मंडल अधिकारी की उचित टिप्पणी प्रेषित करें।	मलवा निस्तारण हेतु ग्रामीणों की नाप भूमि का चयन किया गया था परन्तु ग्रामीणों द्वारा कम क्षेत्रफल में नाप भूमि होने के कारण अपनी नाप भूमि में मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिस कारण नाप भूमि में मलवा निस्तारण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया।
5	मार्ग हेतु आवष्यक भूमि के निर्धारण हेतु 9.00 मी0 चौडाई ली गयी है इसलिए सम्भवतः Tree enumerartion भी 9 मी0 चौडाई पर किया गया है। अतः राज्य सरकार 7.00 मी0 की चौडाई पर वृक्षों की गिनती कर Tree enumeration की सूची इस कार्यालय में प्रेषित है।	7.00 मी0 चौड़ाई पर वृक्षों की गणना कर वृक्षों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक–02)**
6	राज्य सरकार मलवा निस्तारण हेतु चयनित क्षेत्र में पृथक से वृक्षों की गणना कर सूची प्रेषित करें।	मलवा निस्तारण हेतु चयनित क्षेत्र में पृथक से वृक्षों की गणना कर वृक्षों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक–03)**

क्र. सं.	त्रुटियों का विवरण	निराकरण
7	Tree enumeration में राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है कि 0 से 10 व्यास वर्ग वाले वृक्षों को Enumeration में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि सभी वृक्ष एवं Saplings Enumeration में सम्मिलित किये जाने चाहिये। अतः राज्य सरकार यथानुसार संषोधित कर Enumeration प्रस्तुत करें साथ ही ऑनलाईन पोर्टल पर भी संशोधन करें।	0 से 10 व्यास वर्ग वाले वृक्षों को भी वृक्षों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। वृक्षों की सूची संलग्न है। **(संलग्नक–04)**
8	प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र में 2.00 हे0 क्षेत्र Very dense forest दर्शित हो रहा है क्योंकि यह भूमि सिविल सोयम भूमि है जो वन विभाग को हस्तान्तरित की जानी है। अतः गाइडलाईन पैरा 2.4 (VI) के अनुसार कुल 6.00 हे0 क्षेत्र में से अनुपयुक्त 2.00 हे0 क्षेत्र के सापेक्ष 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य योजना Prescription अनुसार अन्यत्र Degraded forest land जिसका घनत्व 0.40 से कम हो पर प्रस्तुत करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रस्तावित सी.ए. का घनत्व 0.40 से कम है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है (स्थल निरीक्षण प्रारूप संलग्न) **(संलग्नक–05)**

आपके संदर्भित पत्रांक द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में उपरोक्त आपत्तियों के संलग्नक 04 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार–4 प्रतियों में।</u>

भवदीय,

(डा0 विनय भार्गव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
[illegible] 13/08/21